पत्र संख्या–11 / आ0–विविध–10 / 2017 सा0प्र0...............

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–...........................

विषय :– दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–23(4) के अनुरूप जिला स्तरीय समिति के निर्माण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–23(4) के अनुरूप दिव्यांग व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार, हिंसा अथवा शोषण के विरूद्ध की गई कार्रवाई से असंतुष्ट होने की स्थिति में दिव्यांग व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि इसके निस्तार के लिए दिव्यांगों के लिए गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन कर सकता / सकती है।

उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम–22 के अधीन जिला स्तरीय समिति का स्वरूप निर्धारित किया जा चुका है। अतः अनुरोध है कि दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम–22 के आलोक में अपने जिला के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति गठित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11 / आ0–विविध–10 / 2017 सा0प्र0 11408 **पटना–15, दिनांक–** 20-8-19

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना एवं राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/8/19

सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-D/ABHINEET SHYAM – HINDI LETEER